

राजस्थान सरकार
विधि एवं न्यायिक कार्य विभाग

क्रमांक प. 1(1) न्याय/ 2020

जयपुर, दिनांक: 15.11.2021

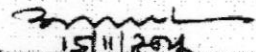
अधिसूचना

राजस्थान सिविल न्यायालय अध्यादेश, 1950 (सन् 1950 का अध्यादेश संख्या 7) की धारा 7 की उप-धारा (1), धारा 10 की उप-धारा (1) एवं धारा 16 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान उच्च न्यायालय के परामर्श से, राज्य सरकार, एतद्वारा, तुरन्त प्रभाव से कॉलम संख्या 2 में उल्लेखित जिला न्यायाधीश के समक्ष विचाराधीन वादों का शीघ्र निपटान हेतु कॉलम संख्या 3 में उल्लेखित अपर जिला न्यायालय सृजित एवं स्थापित करती है, तथा इसकी बैठक का स्थान कॉलम संख्या 4 के अनुसार नियत करती है:-

क्र.सं.	जिला न्यायाधीश के न्यायालय का नाम	अपर जिला न्यायाधीश के न्यायालय का नाम	बैठक का स्थान
1	2	3	4
1.	जिला एवं सेशन न्यायाधीश, उदयपुर	अपर जिला न्यायाधीश, मावली	मावली

नोट- उपरोक्त न्यायालयों का स्थानीय क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय अध्यादेश एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत संबंधित जिला एवं सेशन न्यायाधीश द्वारा निर्धारित किया जायेगा एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 9(3) के अन्तर्गत राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अपर सेशन न्यायाधीश की शक्तियां प्रदान की जायेगी।

राज्यपाल के आदेश से,


(अनुपमा राजीव बिजलानी)

प्रमुख शासन सचिव।

RAJASTHAN HIGH COURT, JODHPUR

No. Gen./II/12/1993/2490

Date: 16/11/2021

Copy forwarded to the following for information and necessary action:-

1. All Registrars, Rajasthan High Court, Jodhpur/ Jaipur Bench.
2. The District & Sessions Judge, Udaipur.
3. The Additional District Judge No.1, Udaipur/ Mavli.
4. The Chief Judicial Magistrate, Udaipur
5. A.O.J. Conf./ RJS Estt./ SC Estt/ Statistics/ Budget/ Building/ and A.O.J. Computer Cell (for uploading the same on high court website)/


REGISTRAR (RULES)
16/11/2021